

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश

1250, तुलसीनगर, भोपाल-462003

फोन-0755-2556916 फेक्स-2552665

ई-मेल dpswbpl@nic.in

क्रमांक / 2017 / 296/387

भोपाल दिनांक 16/06/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश।

विषय :- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से पेंशन राशि को आहरित करने की उपलब्ध सुविधा के उपयोग के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वृद्धजनों, विधवा, परित्यक्ता एवं दिव्यांगजनों के लिये 6 प्रकार की पेंशन योजनाएं यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि का क्रियान्वयन समग्र पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में पेंशन हितग्राहियों को पेंशन के भुगतान में आने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान एफ.टी.ओ. (फंड ट्रांसफर आर्डर)/ई.पें.ओ. (इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आर्डर) के माध्यम से करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

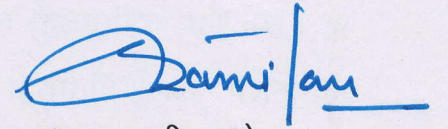
2. पेंशन हितग्राहियों को नवीन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर से ही उनके बचत खाते में पेंशन राशि का भुगतान किया जा सकेगा, लेकिन प्रदेश में बैंक शाखा सीमित होने के कारण हितग्राही को पेंशन राशि प्राप्त करने के लिये काफी दूर जाना होता है जो कि उनके लिये उनकी आयु एवं निःशक्तता को देखते हुए एक वास्तविक बाधा है।

3. भारत सरकार द्वारा डिजीटल इंडिया प्रोग्राम के तहत देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को खोलने का लक्ष्य रखा है। सी.एस.सी. की सहायता से ग्राम पंचायत स्तर पर ही इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं (राशि को बैंक खाते में जमा करना, राशि का आहरण, बिल भुगतान, राशि का हस्तांतरण इत्यादि) का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

4. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर उपलब्ध सुविधाओं में से एक सुविधा बैंक खाते से राशि का आहरण भी है, जिसमें यदि किसी व्यक्ति का बैंक बचत खाता नम्बर आधार नम्बर से लिंक है, तो व्यक्ति ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर ही कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अंगूठे/अंगूलियों का निशान लगाकर सुविधानुसार पेंशन राशि को प्राप्त कर सकता है, उक्त पेंशन राशि को आहरित करने में किसी भी प्रकार की राशि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) प्रभारी को नहीं दिया जाना है।

5. वर्तमान में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के माध्यम से प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को खोलने की कार्यवाही की जा रही है। यथाशीघ्र ही प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) प्रारंभ हो जायेगे।

अतः ग्राम पंचायत स्तर पर ही इलेक्ट्रानिक सेवाओं व पेंशन राशि को बैंक बचत खाता नम्बर से आहरित करने हेतु समस्त पेंशन हितग्राहियों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने का कष्ट करें।



(नीलम शमी राव)

आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं

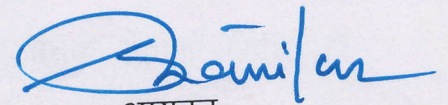
निःशक्तजन कल्याण भोपाल म.प्र.

भोपाल, दिनांक 16/06/2017

पृ. क्रमांक/2017/296/388

प्रतिलिपी :-

1. सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी. म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. श्री कमलेश बंजरिया, स्टेट हेड, सी.एस.सी., एस.पी.वी. म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं

निःशक्तजन कल्याण भोपाल म.प्र.